न्यायालय– विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट) चन्दौली।

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–06/2022

सरकार प्रति रमाशंकर चौबे आदि

मुकदमा अपराध संख्या– 266/2021

धाराः 323,504,427 भा.दं.स

व 3(1)द व 3(1) ध एस.सी./एसटी

थाना बलुआ, जिला– चन्दौली।

आ रो प

मैं, अम्बर रावत, विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट) चन्दौली आप अभियुक्तगण–

1. रमाशंकर चौबे
2. रिंकू उर्फ कृष्णकांत चौबे
3. पिण्टू उर्फ विनय चौबे
4. अनुज चौबे

को निम्न् आरोप से आरोपित करता हूॅ :–

प्रथम–यह कि घटना दिनांक 19.112.2021 व समय 12 बजे दिन स्थान ग्राम बगही थाना बलुआ, जिला चन्दौली में आप अभियुक्तगण द्वारा फूल तोड़ने के विवाद को लेकर वादी मुकदमा को मारकर साधारण उपहति कारित की गयी, इसके द्वारा आपने ऐसा कार्य किया जो भा0दं0सं0 की धारा 323 के तहत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है ।

द्वितीय–यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को भद्दी–2 गालियॉं देकर लोक शांति भंग किया, इस प्रकार आप ने ऐसा अपराध किया है जो धारा 504 भा.द.सं. के अन्तर्गत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

तृतीय–यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के लगाये गये फूल के पौधे को उखाड़कर क्षति कारित किया गया,इसके द्वारा आपने ऐसा कार्य किया जो भा0दं0सं0 की धारा 427 के तहत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

चतुर्थ–यह कि उक्त दिनांक समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा यह जानते हुए कि वादी मुकदमा को अनुसूचित जाति का सदस्य है, आप लोग गैर अनुसूचित जाति का होते हुए उसे अपमानित करने के आशय से जनता को दृष्टिगोचर लोक स्थान पर अभित्रस्त किया गया। इस प्रकार आप अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है जो धारा 3(1)द एस.सी./एस.टी.एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

पंचम–यह कि उक्त दिनांक समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने यह जानते हुए कि वादी मुकदमा जो अनुसूचित जाति का सदस्य है, आप लोग गैर अनुसूचित

जाति का होते हुए उसे अपमानित करने के आशय से जनता को दृष्टिगोचर लोक स्थान पर जाति सूचक गाली गलौच किया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने ऐसा अपराध किया है जो धारा 3(1)(ध) एस.सी./एस.टी.एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद् द्वारा मैं आपलोगों को निर्देशित करता हूँ कि आपका विचारण उपरोक्त आरोप पर इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।
दिनांक 25.04.2022ई0

(अम्बर रावत)
विशेष न्यायाधीश, एस.सी/एस.टी एक्ट
चन्दौली।

उपरोक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इनकार किया तथा विचारण की मॉग किया ।
दिनांक 25.04.2022ई0

(अम्बर रावत)
विशेष न्यायाधीश, एस.सी/एस.टी एक्ट
चन्दौली।